भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 852
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

राजनीतिक दान और निःशुल्क उपहारों पर प्रतिबंध

852. प्रो. सौगत राय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चुनाव के समय जनता के लिए अनुत्पादक राजनीतिक दान और निःशुल्क उपहारों को प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने यह नोटिस किया है कि देश में वोट पाने और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में उपहार बांटे जाते/दान राशि दी जाती है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस प्रकार की पेशकशों की जाँच/नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जी नहीं ।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) से (ङ.) : भारत के निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि एसएलपी (सी) संख्या 21455/2008 में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 5 जुलाई, 2013 के निर्णय के अनुपालन में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आदर्श आचार संहिता में भाग-7 - "निर्वाचन घोषणापत्र पर दिशानिर्देश" जोड़ा गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-सात यह उपबंध है कि पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में यह अपेक्षित है कि निर्वाचन घोषणापत्र में वादों के औचित्य को भी दर्शाया जाए और इसके लिए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के तरीकों और साधनों का व्यापक रूप से संकेत दिया जाए ।

इसके अतिरिक्त, आदर्श आचार संहिता के उपबंधों के उल्लंघन, भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन से संबंधित अपराधों के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 170 और 173 के अधीन दाण्डिक उपबंध है ।

****